न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–93 / 2024

प्रार्थिनी:–

सेलादेवी पत्नी तेजसिंह चौहान जाति राजपूत निवासी श्रीमालियों की बास देबावास तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

विप्रार्थी:–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री नेहपालसिंह प्रार्थिनी अधिवक्ता

–:: आदेश ::–

दिनांक :–26.05.2025

प्रार्थिनी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 914 रकबा 6.5635 हैक्टेयर ग्राम मेली तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थिनी काबिज होकर काश्त करती आ रही है। प्रार्थिनी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, पेनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, बैक पासबुक आदि में उसका वास्तविक नाम ''सेलादेवी पत्नी तेजसिंह'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थिनी का नाम ''छैलकंवर पत्नी तेजसिंह'' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। अतः प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/732 दिनांक 21.04.25 द्वारा प्रार्थिनी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थिनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में आधारकार्ड, पेनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, बैक पास बुक, आदि प्रस्तुत किये । प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

वकील प्रार्थिनी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थिनी की बहस है कि प्रार्थिनी का वास्तविक नाम ''सेलादेवी पत्नी तेजसिंह'' है, किन्तु राजस्व कार्यवाहियों [illegible] भूमि खसरा संख्या 914 रकबा 6.5635 हैक्टेयर ग्राम मेली तहसील सिवाना में [illegible]कंवर पत्नी तेजसिंह'' [illegible] लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:49:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

नहीं कर पा रही है। अतः प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारीणी है।

हमने प्रार्थिनी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थिनी के, आधारकार्ड, पेनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, बैक पास बुक में प्रार्थिनी का नाम ''सेलादेवी पत्नी तेजसिंह'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थिनी का नाम ''छैलकंवर पत्नी तेजसिंह'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थिनी का वास्तविक नाम ''सेलादेवी पत्नी तेजसिंह'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मेली तहसील सिवाना के खसरा संख्या 914 रकबा 6.5635 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थिनी का नाम ''छैलकंवर पत्नी तेजसिंह'' के स्थान पर ''सेलादेवी पत्नी तेजसिंह'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:49:10 IST
Reason: SelfAttested